



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1943 (श0)

(सं0 पटना 601) पटना, शुक्रवार, 9 जुलाई 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

9 जुलाई 2021

एस0 ओ0 123, दिनांक 9 जुलाई 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 115 दिनांक 1 जुलाई, 2021, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 564 दिनांक 1 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात: -

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में -

(i) खंड (i) में, --

1. "मई, 2021 के 30वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून, 2021 के 29वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. "मई, 2021 के 31वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून, 2021 के 30वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) खंड (i) के परंतुक में, --

1. "मई, 2021 के 31वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून, 2021 के 30वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. "जून, 2021 के 15वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जुलाई, 2021 के 15वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) खंड (ii) में, --
 1. "मई, 2021 के 30वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून, 2021 के 29वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 2. "मई, 2021 के 31वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून, 2021 के 30वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. यह अधिसूचना मई, 2021 के 30वे दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-12)1197)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

9 July 2021

एस० ओ० 123, दिनांक 9 जुलाई 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)1197)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 9th July 2021

S.O. 123, dated 9th July 2021— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 115 dated the 1st day of July, 2021 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 564 dated the 1st day of July, 2021, namely: —

In the said notification, in the first paragraph,-

- (i) in clause (i), —
 - a. for the figures, letters and words "30th day of May, 2021", the figures, letters and words "29th day of June, 2021" shall be substituted;
 - b. for the figures, letters and words "31st day of May, 2021", the figures, letters and words "30th day of June, 2021" shall be substituted;
- (ii) in proviso to clause (i), —
 - a. for the figures, letters and words "31st day of May, 2021", the figures, letters and words "30th day of June, 2021" shall be substituted;
 - b. for the figures, letters and words "15th day of June, 2021", the figures, letters and words "15th day of July, 2021" shall be substituted;
- (iii) in clause (ii), —
 - a. for the figures, letters and words "30th day of May, 2021", the figures, letters and words "29th day of June, 2021" shall be substituted;
 - b. for the figures, letters and words "31st day of May, 2021", the figures, letters and words "30th day of June, 2021" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 30th day of May, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)1197)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 601-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>